



उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (उप्र)
Uttar Pradesh University of Medical Sciences,
Saifai, Etawah-206 130 (U.P.)
Website: www.upums.ac.in

Advt.No.: 287 /UPUMS/CMS/178/2026-27

Date : 15 July, 2026

Advertisement

Walk-in Interviews will be conducted on every Wednesday from 22.07.2026 onwards at 03:00 PM - 05:00 P.M. at Chief Medical Superintendent Office, First Floor, Trauma Centre, UPUMS, Saifai for selection of **Radiologist (M.D./D.N.B/D.M.R.D.)** on Contract basis.

Further details regarding the Terms and Conditions with qualification is displayed on the University website (www.upums.ac.in).

Chief Medical Superintendent

संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन हेतु योग्यता एवं सेवा शर्तें

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन के लिए योग्यता एवं सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी—

1. विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए 'वाक इन इन्टरव्यू' (Walk-in-Interview) के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।
2. मासिक वेतन —

फुल टाईम प्रतिदिन 08 घन्टे :- रु. 1,20,000/- का नियत मासिक वेतन देय होगा। उक्त वेतन के अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट को चिकित्सालय आने-जाने हेतु Conveyance Incentive के रूप में रु. 1000/- धनराशि का प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा।

अथवा

पार्ट टाईम प्रतिदिन 04 घन्टे :- रु.5000/- (Inclusive of Conveyance Incentive) मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

3. आकस्मिक परिस्थितियों में बुलाए जाने पर रेडियोलॉजिस्ट को प्रति विजिट/प्रति USG रु.500/- की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
4. संविदा के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति 06 माह के लिए की जायेगी, जोकि रेडियोलॉजिस्ट की संतोषजनक सेवाओं एवं मरीजों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त विस्तारित की जा सकेगी।
5. योग्यता: संविदा के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट के चयन हेतु योग्यता का विवरण निम्नलिखित है :

Essential Qualifications :

- MD (Radio-Diagnosis) from a recognized university. **OR**
- DNB (Radio-Diagnosis) from a recognized board. **OR**
- DMRD (Diploma in Medical Radio-Diagnosis) from a recognized institution.

Mandatory Certifications : Valid State Medical Council or National Medical Commission (NMC) registration is mandatory.